शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 9 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 27 – 06 मार्च 2023 मूल्य पांच रूपए

कुछ स्कूल बन्द करने के बजाये पूरे प्रदेश में युक्तिकरण की नीति अपनानी होगी

जो स्कूल बिना अध्यापक या एक – दो अध्यापकों के सहारे चल रहे हैं क्या उन छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है।

बिना स्कूल भवन या एक ही कमरे में कई क्लासें बिठाना क्या अपराध नहीं है

क्या एक चुनाव क्षेत्र में एक अटल विद्यालय या राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलकर शिक्षा व्यवस्था बदल जायेगी

शिमला/शैल। हिमाचल की सुक्खु सरकार ने फैसला लिया है की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक राजीव गांधी डे – बोर्डिंग स्कूल खोला जायेगा। भाजपा सरकार में अटल आदर्श विद्यालय खोले गये थे। इन विद्यालयों कि कोई व्यवहारिक रिपोर्ट आज तक नहीं आयी है कि प्रदेश में कितने अटल विद्यालय खुले और उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। सरकार ने एक और फैसला लेते हुये 228 प्राइमरी और 56 मिडिल स्कूल बन्द करने का आदेश किया है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा तथा स्वास्थ्य भी बुनियादी आवश्यकताएं बन चुकी हैं। एक कल्याणकारी राज्य में बुनियादी सेवाएं नागरिकों को नि:शुल्क मिलनी चाहिये ऐसी अपेक्षा रहती है सरकार से। लेकिन व्यवहार में आज शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़े बाजार बन गये हैं क्योंकि सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता प्रश्नित रहती है। ऐसे में आज जब हिमाचल सरकार ने इतने स्कूलों को बच्चों की कमी के कारण बन्द करने का फैसला लिया है और मुख्य विपक्षी दल भाजपा जो पहले सरकार में था वह यह आरोप लगा रहा है कि सुक्खु सरकार अपने ही नेता स्व.वीरभद्र सिंह के आदर्शो के विपरीत काम कर रही है। स्व.वीरभद्र तो यह कहते थे कि एक बच्चे के लिये भी स्कूल खोलना पड़े तो वह खोलेंगे। लेकिन यह कहते हुये भाजपा यह भूल रही है कि स्व. वीरभद्र सिंह ने एक ही पंचायत में छ: विश्वविद्यालय खोलने का चलन शुरू नहीं किया था।

प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा है यह हर रोज हर मंच से दोहराया जा रहा है और कोई भी इसका खण्डन करने की स्थिति में नहीं है। इस परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है की कुछ आवश्यक सेवाओं के प्रबन्धन पर पुनर्विचार किया जाये और लाभार्थियों को भी प्रभावित न होने दिया जाये। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक भी बच्चे को शिक्षा से किसी भी कारण से वंचित रखना अपराध ही नहीं वरन पाप की संज्ञा में भी आ जाता है। आज सरकार ने यह स्कूल बन्द करने का फैसला इसलिये लिया है क्योंकि यहां बच्चों की संख्या ही बहुत कम थी। कम संख्या के कारण पहले भी स्कूल बन्द होते रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में स्कूली शिक्षा पर एक नजर डालना आवश्यक हो जाता है। इस समय प्रदेश में एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 18028 स्कूल हैं जिनमें से 15313 स्कूल सरकारी हैं। इन स्कूलों में 63690 कमरे उपलब्ध है। यू.डी.आई.एस.की रिपोर्ट के मुताबिक 5113 प्राईमरी और 993 मिडिल स्कूलों में 20 से कम बच्चे हैं। सरकार 15313 स्कूलों में 65973 अध्यापक हैं। इनमें 12 प्राईमरी स्कूल बिना अध्यापक के 2969 स्कूलों में एक अध्यापक 5533 स्कूलों में दो अध्यापक और 1779 स्कूलों में तीन अध्यापक हैं। इसी तरह 51 मिडिल स्कूल ने एक, 416 में दो और 773 स्कूलों में तीन तथा 701 में चार से छ: अध्यापक हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि एक स्कैण्डरी स्कूल में दस क्लासों के लिए दो अध्यापक, दस स्कूलों में तीन, 212 में चार से छ: और 710 में सात से दस अध्यापक हैं। बाईस वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में चार से छ: अध्यापक, 189 में सात से दस, 684 में ग्यारह से पन्द्रह और 981 स्कूलों में पन्द्रह से अधिक अध्यापक हैं।

सात प्राईमरी स्कूल बिना कमरे के, 338 एक कमरे में, 2495 दो कमरों में 4111 तीन कमरों में 3402 सात से दस कमरों में, तीन मिडिल स्कूल बिना कमरे के, 216 एक कमरे में, 241 दो कमरों में, 1111 तीन कमरों में और 352 चार से छ: कमरों में चल रहे हैं। माध्यमिक स्कूलों जहां दस क्लासें हैं उनकी स्थिति भी बेहतर नहीं है। छ: स्कूल एक कमरे में 25 दो कमरों में 117 तीन कमरों में 699 चार से छ: कमरों और 74 स्कूल सात से दस कमरों में चल रहे हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में एक स्कूल एक कमरे में सात दो कमरों सत्रह तीन कमरों, 254 चार से छ: 947 सात से दस, 454 ग्यारह से पन्द्रह और केवल 205 पन्द्रह से अधिक कमरों में चल रहे हैं। स्कूलों, अध्यापकों, छात्रों और कमरों में इन आंकड़ों से पूरी स्कूली शिक्षा की तस्वीर सामने आ जाती है। इस तस्वीर से यह सवाल उभरता है कि क्या एक चुनाव क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग या अटल आदर्श विद्यालय खोलकर ही शिक्षा जैसे क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। एक भी बच्चा शिक्षा के बिना न रहे इसके लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। स्कूलों, छात्र शिक्षक अनुपात क्या रहना चाहिये यह प्राईमरी से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिये तय है। बच्चे को उसके घर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध होना चाहिए यह मानक तय किया गया है। लेकिन क्या पहाड़ी क्षेत्रों में इन मानकों को कभी पूरा किया जा सकता है। जो स्कूल बिना अध्यापक के चल रहे हैं एक या दो अध्यापकों के सहारे चल रहे हैं। बिना कमरे के या एक ही कमरे में कई क्लासें चलाई जा रही हैं क्या उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने और माता – पिता को बच्चा स्कूल में भेजने के लिये प्रेरित करने हेतु मीड डे मील और स्कूल वर्दीयां देने की योजनाएं लायी गयी थी। आज इन योजनाओं में परिवर्तन किया जा रहा है। वर्दी के बदले नगद पैसा दिया जाने का फैसला लिया गया है।

इस परिदृश्य में आज आवश्यक हो जाता है कि छात्रों, अध्यापकों और स्कूल कमरों के अनुसार एक मुश्त युक्तिकरण की नीति शिक्षा में लायी जाये। जिन स्कूलों में छात्र नहीं है जहां अध्यापक नहीं है जहां क्लासों के लिये पूरे कमरे नहीं है उन्हें तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया जाये और निकट के स्कूल में बच्चों और स्टाफ शिफ्ट किया जाये। 1.5 किलोमीटर का दायरा इसलिये रखा गया था ताकि बच्चों को ज्यादा चलना न पड़े। आज प्रदेश का हर गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क से जुड़ा हुआ है इसलिये बच्चों को बसों के माध्यम से निकट के स्कूल में पहुंचाना कठिन नहीं होगा। सिर्फ शिक्षा और परिवहन विभाग में तालमेल बिठाना होगा। इस युक्तिकरण से कोई भी स्कूल बिना बच्चों और अध्यापकों तथा कमरों के नही रहेगा। केवल इतना संकल्प लेना होगा कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता प्राईवेट स्कूलों से बेहतर बनानी है। इस युक्तिकरण में बच्चों को भी पूरी सुविधा मिलेगी और सरकार की बचत भी होगी। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के एक मामले में फैसला दिया है कि कोई भी स्कूल बिना खेल के मैदान के नहीं हो सकता। आज अधिकांश सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के पास प्रदेश में खेल मैदान नहीं है। इसलिये डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के स्थान पर स्कूलों में खेल मैदान की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

राज्यपाल ने लोगों से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का लाभ उठाने का आग्रह किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत हिमाचल प्रदेश के लोगों को 48 जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने लोगों से इस परियोजना का लाभ उठाएं उठाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि 7 मार्च, 2023 को पीएमबीजेपी के तहत पांचवें जन औषधि दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष कार्यक्रम की विषय वस्तु 'जन औषधि-सस्ती भी, अच्छी भी' है। उन्होंने कहा कि एक मार्च से प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों का जन औषधि पर विश्वास बढ़े।

उन्होंने कहा कि जन औषधि दवाओं की कीमतें आम तौर पर ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत कम होती हैं। ये दवाएं खुले बाजार में उपलब्ध होती हैं और इनकी गुणवत्ता महंगी ब्रांडेड दवाओं के समान होती हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो उपचार के लिए प्रतिदिन दवा का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर 1759 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं और 280 सर्जिकल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं। सभी दवाएं डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदी जाती हैं। गोदामों में प्राप्त होने के बाद दवा के प्रत्येक बैच का स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाता है। इन दवाओं का राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है और इसके पश्चात ही दवाओं को बिक्री के लिए केंद्र में भेजा जाता है।

उन्होंने सभी चिकित्सकों से भी आग्रह किया है कि वे मरीजों को जेनरिक दवाओं का परामर्श दें ताकि गरीब व अन्य वर्गों को इसका लाभ मिल सके। राज्यपाल ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में वित्त वर्ष 2022-23 में जन औषधि केन्द्रों से दवाओं की बिक्री से लगभग 30 करोड़ रुपये की बचत हुई है। आयुष्मान और हिम केयर कार्ड के जरिए भी 50 करोड़ रुपये की बचत की गई है।

उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। केंद्र के संचालकों को सरकार द्वारा पांच लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है तथा महिला उद्यमियों, दिव्यांगों, सेवानिवृत्त सैनिकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं व पर्वतीय क्षेत्रों में भी दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, फार्मासिस्ट उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, सोसायटी संस्थान आदि, जिनके पास 120 वर्ग फुट की दुकान और एक प्रशिक्षित फार्मासिस्ट उपलब्ध है, वे जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना रोजगार और आय के वैकल्पिक साधन के साथ उभरी है, जिसका प्रदेश की जनता को लाभ उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों में उपलब्ध दवाएं आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की विजेता को सम्मानित किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आस्था शर्मा को सम्मानित किया। आस्था शर्मा ने केन्द्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त कर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज, संजौली, शिमला में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। राज्यपाल ने आस्था शर्मा को हिमाचली टोपी, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और इस उपलब्धि के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी।

आस्था शर्मा शिमला जिला के कोटगढ़ के लोशटा गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता मनमोहन शर्मा एक सेब बागवान हैं तथा माता रेखा शर्मा गृहिणी हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ज्ञान अर्जित करने से ही व्यक्ति का सम्मान और प्रतिष्ठा होती है। महान लेखक, कवि और कलाकार आदि अपनी प्रतिभा से ही जाने जाते हैं। उन्होंने आस्था शर्मा को कड़ी मेहनत करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

राज्यपाल ने कहा कि वह न केवल प्रदेश, बल्कि देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

इस अवसर पर लोकायुक्त, न्यायमूर्ति चंद्र भूषण बरोवालिया भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की वेबसाइट का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों को रुचि रखने वाले लोग लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से लोगों को पैराग्लाइडिंग व अन्य गतिविधियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। इससे क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार क्षेत्र में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है।

मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, मुख्यमंत्री के सचिव अभिषेक जैन, एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा, उपाध्यक्ष प्रकाश चंद और अन्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उद्यमिता के लिए सॉफ्ट स्किल्स पर कार्यशाला

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशालय द्वारा बागवानी महाविद्यालय एवं वानिकी महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए' कृषि स्नातकों में उद्यमिता के लिए सॉफ्ट स्किल्स का विकास' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में किया गया।

कार्यशाला का आयोजन आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान विकास अकादमी और आईसीएआर एन.ए.एच.ई.पी. की संस्थागत विकास परियोजना के सहयोग से किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य कृषि-स्नातकों के बीच सॉफ्ट स्किल्स, नवाचार और उद्यमियों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। प्रशिक्षण में वानिकी और बागवानी विषयों के 100 से अधिक छात्रों के साथ-साथ संकाय ने भाग लिया।

शूलिनी यूनिवर्सिटी से डॉ. प्राची कपिल ने 'कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट' पर गेस्ट लेक्चर दिया। इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विभिन्न हितधारकों के साथ बात करते समय आने वाली कठिनाइयों को समझने में मदद करना था। 'टीमवर्क और टीम बिल्डिंग' पर एक व्याख्यान भी दिया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के समूह अभ्यास शामिल थे। यह अभ्यास छात्रों को टीमवर्क के मूल्य को समझने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे और प्रत्येक सदस्य की क्षमताओं और विशेषताओं के अनुसार जिम्मेदारियों को आवंटित करके आदर्श टीम कैसे बनाई जाए पर आधारित थे।

बागवानी विकास अधिकारी डॉ. स्वाति पराशर ने स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए सरकारी पहल पर एक प्रस्तुति दी। कार्यशाला की कार्यक्रम निदेशक डॉ.प्रतिमा राणा ने छात्रों के साथ कई सामूहिक अभ्यासों का नेतृत्व किया। प्रतिभागियों को सफल उद्यमियों की प्रेरक कहानियां भी दिखाई गई।

शेरपा इको रिज़ॉर्ट और अमेज़ॉन सीड लिमिटेड के संस्थापक उमेश महाजन और रेणुका सीड लिमिटेड के संस्थापक ललित कवार ने भी छात्रों के साथ बातचीत की और उद्यमिता पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। समापन समारोह के दौरान निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ.इंदर देव, डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉ. मनीष शर्मा और डीन ऑफ फॉरेस्ट्री डॉ. सीएल ठाकुर ने छात्रों को कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप बनाने के लिए प्रेरित किया।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संवेदीकरण और क्षमता निर्माण विषय पर कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फेयरलॉन, हिप्पा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संवेदीकरण और क्षमता निर्माण विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इस अवसर पर निदेशक शहरी विकास मनमोहन शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

कार्यशाला में शिमला जिला के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित व नामित प्रतिनिधियों, कार्यकारी अधिकारियों, सचिवों और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

इस अवसर पर मनमोहन शर्मा ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नियमों व प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन में देश भर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कई पुरस्कार भी जीते हैं। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने में सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अपूर्व देवगन ने कहा कि बोर्ड द्वारा राज्य में पर्यावरण कानूनों को विनियमित करने के लिए दृढ़ता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी बल दिया।

शहरी विकास विभाग के परियोजना अधिकारी राजेंद्र चौहान ने ठोस अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन तथा शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका और दायित्वों के निर्वहन बारे विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के प्रतिनिधि सिद्धार्थ सिंह, हीलिंग हिमालयाज़ फाउंडेशन के संस्थापक प्रदीप सांगवान और बोर्ड के पर्यावरणीय अभियंता चंदन कुमार सिंह ने भी विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चे के उपचार के लिए वित्तीय सहायता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित 14 वर्षीय बच्चे के उपचार के लिए हर संभव वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

हमीरपुर जिला के बड़सर क्षेत्र के निवासी प्रेम लाल ने अपनी धर्मपत्नी सहित मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें अवगत करवाया कि उनका बेटा अरुण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह बच्चे का उपचार करवाने में सक्षम नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रेम लाल को आश्वस्त किया कि बच्चे के इलाज के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का व्यापक अभियान

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा राज्य में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 788 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी है। यह जानकारी राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने दी।

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान विभिन्न जिलों में आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने के 15 मामलों पर कारवाई करते हुए 4,53,290 रुपये की 788 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी है। उन्होंने बताया कि जिला सोलन में 75 लीटर, मंडी में 6 लीटर, कांगड़ा में 28 लीटर और शिमला में 504 लीटर अवैध शराब जब्त की गयी है।

आबकारी टीम द्वारा चार अलग-अलग मामलों में जिला मंडी में 65 लीटर तथा राजस्व जिला नूरपुर में 110 लीटर, अवैध शराब (लाहन) नष्ट की गयी है।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने कहा कि भविष्य में भी अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए इस तरह का अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों को अवैध शराब से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कड़ी नज़र रखने तथा सख्त कारवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल

की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे।

इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी।

नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है।

मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इन्सेटिव (प्रोत्साहन) आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का निर्णय लिया गया। यह सामुदायिक स्तर पर सुगम और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगी। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा सेवा प्रदाता (फेसिलिटेटर) रखने के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

मंत्रिमंडल ने पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों के लड़कों को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से 600 रुपये प्रति विद्यार्थी राशि हस्तांतरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। यह राशि स्कूल की वर्दी के लिए इन विद्यार्थियों अथवा उनकी माता के नाम हस्तांतरित की जाएगी और इससे राज्य के लगभग 3.70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश टोल्ज एक्ट, 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने वन विभाग के अभियान्त्रिकी स्टाफ का युक्तिकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की और इन 26 अभियान्त्रिकी स्टाफ की सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड में समाहित की जाएंगी।

मंत्रिमंडल ने योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य का पद भरने का निर्णय लिया गया।

ई-वाहन निर्माण कंपनियों से हिमाचल स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण का आग्रह:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीजल बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतर-जिला मार्गों पर ई-बसें चलाने की योजना बना रही है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों को पहाड़ी क्षेत्र, भार क्षमता और सामान के लिए जगह जैसे विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटो टाइप इलेक्ट्रिक बसें डिजाइन करने को कहा। उन्होंने कंपनियों से आधुनिक तकनीक युक्त गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित करने को भी कहा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोटो टाइप ई-बसों के लिए सभी तौर-तरीके और विनिर्देश तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को श्रेष्ठ एवं आरामदायक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं। ई-वाहनों को अपनाना इस दिशा में एक मील पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-नादौन-देहरा राजमार्ग को 'क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर' बनाने की योजना बना रही है और इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग है जिसने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों को भी चरणबद्ध तरीके से ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि, परिवहन विभाग तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

फार्मा एक्सपो में 2110 करोड़ रुपये के निवेश आश्य के 17 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश मुंबई में आयोजित देश के सबसे बड़े फार्मा एक्सपो में भाग ले

रहा है और इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा 2,110 करोड़ रुपये के निवेश आश्य के 17 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों द्वारा राज्य में निवेश के लिए इच्छा जाहिर करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें प्रस्तावित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि हिमाचल को निवेश के लिए सबसे बेहतर गंतव्य के रूप में उभारा जा सके।

फार्मा एक्सपो में राज्य के फार्मा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन किया गया तथा फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में बड़े उद्योगों को राज्य में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश के लिए आमंत्रित किया। हिमाचल प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ऊना में 1405.41 एकड़ क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क तथा 300 एकड़ क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुंबई में आयोजित फार्मा लाइव एक्सपो में 'हिमाचल पैविलियन' का शुभारंभ किया। उनके साथ विधायक सुधीर शर्मा, सुरेश कुमार, मालेन्दर राजन तथा अजय सोलंकी, प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नज़ीम, निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति, अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा, परियोजना प्रमुख, ईएण्डवाई, सुमित सागर डोगरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग ले रहा है। इंडियन ड्रग मैन्यूफैक्चिरिंग एसोसिएशन एवं हिमाचल ड्रग मैन्यूफैक्चिरिंग एसोसिएशन ने इस अवसर पर उद्योग मंत्री एवं विधायक गणों को सम्मानित भी किया।

उद्योग मंत्री ने एक्सपो में स्थापित स्टॉल का अवलोकन किया और हिमाचल आधारित इकाइयों द्वारा प्रदर्शित नवोन्मेषी एवं नई तकनीकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार औषध निर्माताओं को बल्क ड्रग पार्क तथा मेडिकल डिवाइस पार्क में विनिर्माण पर उदार प्रोत्साहन और उपयोगी दरों पर उच्चतम उपदान प्रदान करेगी।

उद्योग मंत्री ने राज्य के फार्मा पारिस्थितिकी तंत्र की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 630 से अधिक फार्मा निर्माण कंपनियां कार्यशील हैं तथा लगभग 10 हजार करोड़ रुपये मूल्य के फार्मा फार्मास्यूएशन का निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने राज्य में एपीआई निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि वार्षिक रूप से लगभग 35 हजार करोड़ रुपये की बल्क ड्रग की मांग है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल फार्मा उद्योग को बल मिलेगा, बल्कि आयात प्रतिस्थापन से मुद्रा विनिमय की बचत भी होगी।

इस अवसर पर सरकारी-वाणिज्यिक (जीटूबी) बैठकें भी आयोजित की गईं जिनमें ऐश्वर्य इंडिया हेल्थ केयर, स्कॉट एडिल, एमक्योर, डीबीपी फार्मा ग्रुप ने हिस्सा लिया। उन्होंने राज्य में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। लूपिन लिमिटेड ने भी सरकार के प्रतिनिधिमंडल से बैठक की और राज्य में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में फरमेंटेशन आधारित एपीआई इकाई स्थापित करने की इच्छा जताई।

फिल्म जगत के प्रमुख निर्माता-निर्देशक अनिल शर्मा ने भी हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने की इच्छा जताई। उद्योग मंत्री ने उन्हें इस बारे में ठोस प्रस्ताव तैयार करने और इस पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया।

सुकुम पावर सिस्टम के नए प्रबंधन ने भी इलेक्ट्रिक वाहन और उपकरणों के लिए 300 करोड़ रुपये के निवेश-आशय की इच्छा व्यक्त की।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायकगण की उपस्थिति में निवेश आशय के लिए सरकार की ओर से निदेशक, उद्योग ने विभिन्न उद्योग प्रमुखों के साथ संबंधित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए।

आबकारी विभाग ने कत्था इकाई में 96.84 लाख रुपये की स्टॉक भिन्नता पायी

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, दक्षिण क्षेत्र (शिमला) के निरीक्षण में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी पांवटा साहिब-1 और अन्य अधिकारियों की टीम ने सिरमौर जिला में एक कत्था इकाई का निरीक्षण किया।

उन्होंने बताया कि इकाई के विस्तृत निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के दौरान 96.84 लाख रुपये की स्टॉक भिन्नता का पता चला है। करदाता ने भिन्नता को स्वीकार किया और 20,04,590 रुपये की राशि स्वेच्छा से जमा करवा दी है। इस मामले में आगे की कार्यवाही एचपी जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जाएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग कर चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए कड़ी निगरानी रख रहा है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कारवाई करने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

जीएसटी संग्रह में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई: यूनुस

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि प्रदेश में फरवरी माह में 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 377 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में 21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। विभाग ने फरवरी, 2023 तक 4933 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में यह वृद्धि सशक्त प्रवर्तन और करदाता अनुपालन में सुधार के परिणामस्वरूप दर्ज की गयी है।

उन्होंने कहा कि विभाग के कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए उन्हें निरंतर प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षणों के फलस्वरूप प्रभावी प्रवर्तन गतिविधियां सुनिश्चित हो रही हैं। विभाग द्वारा हाल ही में 450 कर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

यूनुस ने कहा कि विभाग द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में 12 लाख ई-वे बिल सत्यापित किए गए हैं और नियमित आधार पर की गई जांचों में ई-वे बिलों की अवमानना पर 8.18 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। विभाग स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार तथा हितधारकों के विभिन्न मुद्दों के समयबद्ध निवारण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि रिटर्न फाइलिंग में निरंतर सुधार, रिटर्न की तीव्र छंटनी, जीएसटी ऑडिट को समयबद्ध पूर्ण करने तथा सशक्त सतर्कता पर विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभाग वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार द्वारा निर्धारित 5130 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

रत्न कभी खंडित नहीं होता। अर्थात विद्वान व्यक्ति में कोई साधारण दोष होने पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।
-चाणक्य-

सम्पादकीय

श्वेत पत्र के संद्धर्भ में कुछ संभावित प्रश्न

सुक्खु सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का फैसला लिया है। बजट सत्र में यह श्वेत पत्र आयेगा। इसलिये प्रदेश के कर्ज की स्थिति पर कुछ प्रश्न उठाये जाने आवश्यक हो जाते हैं ताकि उनका जवाब इस श्वेत पत्र में आ जाये। इस सरकार के मुताबिक उसे 75000 करोड़ का कर्ज और 11000 करोड की पैन्शन वेतन की देनदारियों विरासत में मिली हैं। इस सरकार को भी अब तक 4500 करोड़ कर्ज लेना पड़ गया है। मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय परिदृश्य में प्रदेश में श्रीलंका जैसी स्थितियां बन जाने की आशंका व्यक्त की है। इस आशंका पर दो पूर्व मुख्यमंत्रीयों शान्ता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने अपनी प्रतिक्रियाएं जारी की हैं। शान्ता कुमार ने दिसम्बर 1992 में पद छोड़ा था और तब प्रदेश पर शुन्य कर्ज होने का दावा किया है। प्रेम कुमार धूमल ने दिसम्बर 2012 में पद छोड़ा था और अपने कार्यकाल में केवल छः हजार करोड़ का कर्ज लेने का दावा किया है। इसके बाद कांग्रेस और जयराम का कार्यकाल रह जाता है। धूमल ने उनके कार्यकाल में कुल कितना कर्ज प्रदेश पर था यह आंकड़ा जारी नहीं किया है। धूमल ने जब 1998 में पद संभाला था तब वह अपना श्वेत पत्र लाये थे और यह खुलासा किया था कि जब स्वर्गीय राम लाल ठाकुर ने प्रदेश छोड़ा था तब कर्ज की बजाये वित्तीय सरप्लस में प्रदेश था। इस वस्तुस्थिति में सुक्खु सरकार से यह अपेक्षा रहेगी कि वह सभी मुख्यमंत्रीयों के कार्यकाल में वित्तीय स्थिति क्या रही है इस पर मुख्यमंत्री वार खुलासा प्रदेश के सामने रखें ताकि सभी की नीतियों पर खुलकर चर्चा हो जाये और भविष्य के लिये एक सीख मिल जाये। हर बजट में हर सरकार कुछ नये कार्यो और नीतियों की घोषणा करती है। श्वेत पत्र में यह खुलासा भी रहना चाहिये कि किसने क्या घोषित किया था और उसके लिये बजट प्रावधान क्या था तथा कितनी घोषणाएं पूरी हो पायी थी और घोषणाओं की आज की स्थिति क्या है।

कर्ज को लेकर यह नियम रहा है कि जी.डी.पी. के 3% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिये। अब कोविड काल में यह सीमा बढ़ाकर 6% कर दी गयी है। इस संद्धर्भ में यह सामने आना चाहिये की कर्ज की सीमा का कब और क्यों अतिक्रमण हुआ तथा कर्ज के अनुपात में जी.डी.पी. में कितनी बढ़ौतरी हुई। जी.डी.पी. और एस.डी.पी. दोनों के आंकड़े आने चाहिये। बजट से पहले और बाद में कब-कब सेवाओं और वस्तुओं के दामों में बढ़ौतरी होती रही है। श्वेत पत्र में यह जानकारीयां होना इसलिये आवश्यक है कि अभी सुक्खु सरकार ने जयराम के कार्यकाल के अन्तिम छः माह के फैसले यह कहकर पलटे हैं कि इनके लिये बजट का प्रावधान नहीं था और इन्हें पूरा करने के लिये 5000 करोड़ के अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। अब कांग्रेस ने चुनावों से पहले ही दस गारंटीयों की वायदा जनता से कर रखा है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ओ.पी.एस. लागू कर दिया गया है अन्य गारंटीयों के लिये भी प्रतिबद्धता है। युवाओं को प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसलिये यह खुलासा भी बजट में आना चाहिये की इन गारंटीयों के औसत लाभार्थी कितने होंगे और इसके लिये कितना धन अपेक्षित होगा तथा कहां से आयेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दस के लाभ के लिये नब्बे की जेब पर डाका डाला जायेगा।

अभी बजट प्रावधान और कर्ज को लेकर सुक्खु और जयराम में शिव धाम परियोजना के संद्धर्भ में वाक यद्ध शुरू हुआ है। इस वाक युद्ध के बाद यह सामने आया है कि एशियन विकास बैंक से पर्यटन अधोसंरचना के लिये 1311 करोड़ का कर्ज स्वीकृत हुआ है। इससे पहले यही बैंक 256.99 करोड़ हैरिटेज पर्यटन के नाम पर दे चुका है। जो स्थान हैरिटेज में चिन्हित हुए थे वही अब अधोसंरचना में भी चिन्हित हैं। ऐसे में यह खुलासा होना चाहिये की हैरिटेज में कितना काम हुआ है और उससे कितना राजस्व अर्जित हो रहा है। क्योंकि कर्ज का निवेश राजस्व अर्जित करने के लिये ही किये जाने का नियम है। पर्यटन के अतिरिक्त जल जीवन, बागवानी आदि और भी कई विभागों को इस बैंक से कर्ज मिला है। इन संस्थानों से राज्य सरकारों को कर्ज केन्द्र की गारंटी पर ही मिलता है लेकिन उसकी भरपाई तो राज्य सरकार को ही करनी होती है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश को कर्ज चुकाने के लिये भी कर्ज लेना पड़ रहा है। 2019 में विश्व बैंक ने प्रदेश की Debt Management Performance Assessment पर एक 42 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। भारत सरकार का वित्त विभाग भी इस संद्धर्भ में 2020 में चेतावनी जारी कर चुका है। इस परिदृश्य में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र आना और उसमें इन सवालों का जवाब होना सरकार से अपेक्षा रहेगी।

दक्षिण के हिंसक आन्दोलन और पंजाब के खालिस्तानी उभार कहीं अमेरिकी कूटनीतिक चाल तो नहीं?

गौतम चौधरी

एक ओर पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह शांत हवा में बारूद की गंध घोल रहा है, तो दूसरी ओर सुदूर दक्षिण तमिलनाडु में एक बार फिर से हिन्दी विरोध के नाम हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में फिर से माओवादी चरमपंथी लोकतांत्रिक भारत के खिलाफ जन मिलिशिया को सज्ज करने लगे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे कई चरमपंथी संगठनों ने बड़ी तेजी से अपना पांव पसारना प्रारंभ कर दिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ मुस्लिम चरमपंथी संगठनों ने मुसलमानों के कमजोर तबके यानी पसमदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रखा है। एक खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड जैसे प्रदेश में पैसे एकत्रित करने के लिए लगभग तीन लाख गुल्लक बांटे गए हैं, जिसे कारीगर मुसलमानों की दुकान के साथ ही उनके घर पर रखे जाएंगे। इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में पैसे एकत्र कर उसे देश तोड़क शक्तियों को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। पूर्वोत्तर में भी आतंकवाद को नए सिरे से खड़े करने की कोशिश हो रही है। नागालैंड में एनएसइएन आईएम गुट के साथ तो केन्द्र सरकार ने समझौता कर रखा लेकिन एनएसइएन खापलांग को मजबूत बनाने की योजना बनाई जा रही है। असम के पृथकवादी संगठन यूएलएफए को भी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। गौर से देखें तो इन तमाम देश तोड़क और पृथकवादी ताकतों को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर वह कौन-सी शक्ति है जो इन तमाम ताकतों को संगठित और मजबूत करने के फिराक में है?

याद करिए, एक समय था जब उक्त तमाम शक्तियां मजबूत थी और ऐसा लग रहा था कि देश का विभाजन हो जाएगा। उस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता थी। प्रधानमंत्री के कार्यकाल भी छोटे-छोटे हो रहे थे। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के समय 10 वर्ष तक राजनीतिक स्थिरता रही। उस दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया। यही नहीं देश का शीर्ष नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर झुका। मसलन, डॉ. मनमोहन सरकार ने भारत के अंदर बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार के नाम पर अमेरिकी हित वाली नीति को लागू कर दिया। यहां तक कि सरकार समर्थक वामपंथियों के लाख विरोध के बाद भी अमेरिकी सरकार के दबाव में मनमोहन सरकार ने परमाणु दायितव विधेयक भी पारित कर दिया। इसके कारण अमेरिकी प्रशासन में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा और देखते ही देखते तमाम प्रकार की पृथकवादी शक्तियां कमजोर पड़ गयी। 10 वर्ष तक शासन करने के बाद वर्ष 2014 में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बुरी तरह चुनाव हार गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की जीत हुई। इस जीत के बाद मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के साथ नरेन्द्र मोदी ने डॉ. मनमोहन सिंह से छूट गए कामों को पूरा करना प्रारंभ किया और आर्थिक सुधार के काम को आगे बढ़ाया।

आर्थिक सुधार का काम नरेन्द्र मोदी पार्ट 2 में भी जारी है लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की विदेश नीति से अमेरिका क्षुब्ध है। यही नहीं नरेन्द्र मोदी पार्ट 2 में भारत ने एक बार फिर से ब्रिक्स देशों को संगठित करने की दिशा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने चीनी कूटनीतिक अभियान, शंघाई सहयोग संगठन में प्रभावशाली भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया है। भारत, अमेरिकी डॉलर के खिलाफ चलाए जा रहे वैश्विक अभियान में भी तसल्ली से हिस्सा ले रहा है। मोदी सरकार पार्ट 2 के इन गतिविधियों ने अमेरिकी प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा।

गौर से देखें तो जब से अमेरिका में जो बिडेन की सरकार बनी है तब से अमेरिकी लॉबी भारत को लगातार घेरने की योजना पर काम कर रहा है। विगत दिनों कई अमेरिकी कूटनीतिक संगठनों ने भारत के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाने की कोशिश की। दुनिया में इन दिनों भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाले बुद्धिजीवियों और रणनीतिक संगठनों का सबसे बड़ा पनाहगाह अमेरिका बन कर उभरा है। कई मामलों में तो यह चीन और दुश्मन देश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है। जानकारों की मानें तो भारत के प्रशासनिक ढ़ांचे, राजनीति, व्यापार और कानूनी संस्थाओं में बड़े पैमाने पर अमेरिकी लॉबी की पैठ है। बड़े पैमाने पर एनजीओ लॉबी भारत के जनमन को प्रभावित करता है। स्वयंसेवी संगठनों में भी अमेरिकी कॉरपोरेट के पैसे लगे हुए हैं। यही नहीं भारत के कई बड़े धार्मिक संगठनों में भी अमेरिकी लॉबी की पहुंच है। नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो एक तटस्थ विदेशी नीति और भारत केन्द्रित अर्थ नीति का प्रभाव बढ़ा है, उससे अमेरिका के रणनीतिकार घबराये हुए हैं। उन्हें लगने लगा है कि यदि भारत में यही चलता रहा तो बहुत जल्द भारत, चीन की तरह उसके लिए चुनौती खड़ा कर सकता है। भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए अमेरिकी लॉबी भारत में फिर से अस्थिरता पैदा करना चाहता है। अमेरिका भारत में कमजोर और कठपुतली सरकार चाहता है। दूसरी ओर पृथकवाद व चरमपंथ को हवा देने के फिराक में है। साथ ही उसको मजबूत करने के लिए बुद्धिजीवियों की नई पैध लगाने की कोशिश प्रारंभ किया है। दक्षिण का हिन्दी विरोधी हिंसक आन्दोलन, पंजाब में चरमपंथी उभार एवं मध्य-पूर्व भारत में माओवादी हमलों में बढ़ोतरी, नरेन्द्र मोदी सरकार को अस्थिर करने की अमेरिकी चाल है। इस बात को समझने की जरूरत है। यदि अभी न समझे तो हम लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की तरह नरेन्द्र मोदी को भी खो देंगे।

विदेश से नौकरी छोड़ी, सब्जी उत्पादन से महक उठा स्वरोजगार

पलौहटा के संजय को प्रतिवर्ष आठ से दस लाख की हो रही आमदनी

शिक्षित युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल

पॉली हाउस के लिए सरकार की ओर से 85 प्रतिशत मिला है उपदान

शिमला। सरकार से उपदान पर मिले पॉली हाउस में विदेशी सब्जियों के उत्पादन में स्वरोजगार की महक युवाओं की जिंदगी में स्वाबलंबन के नये आयाम स्थापित कर रही है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती.....स्वरों को चरितार्थ करते हुए विदेश से नौकरी छोड़कर अपने गांव की माटी में सोना उगाने की सुंदरनगर के पलोहटा गांव के संजय की कोशिशों को सरकार की मदद से आत्मनिर्भरता के नए पंख लगाए हैं। पॉली हाउस में विदेशी सब्जियां उगाकर संजय प्रतिवर्ष आठ से दस लाख की आमदनी अर्जित कर शिक्षित युवाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम कर रहा है।

उपमंडल सुंदरनगर के पलौहटा गांव के प्रगतिशील किसान संजय कुमार ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एमकॉम की डिग्री हासिल की है। माता-पिता पारंपरिक खेती-बाड़ी करते थे। उनकी रूचि भी खेती-बाड़ी में बहुत थी। 5 साल विदेश में नौकरी करने के बाद संजय ने विदेश में नौकरी छोड़ कर घर पर माता-पिता की पारंपरिक खेती को आधुनिक रूप से खेती करने का फैसला किया। उन्होंने केवीके सुंदरनगर से संपर्क किया और कृषि विभाग के सहयोग से 504 स्क्वायर

मीटर का पॉलीहाउस तैयार किया। उन्होंने शुन्य लागत प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। जिससे आज वह जहर मुक्त सब्जियों का व्यवसाय कर रहे हैं। खेती-बाड़ी के इस कार्य में उनकी धर्मपत्नी चद्रेश, बेटा ऋषभ और उनकी बहन तनुजा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। पॉलीहाउस लगाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से 85% अनुदान के रूप में उपलब्ध हुआ। उन्होंने केवल 15% ही खर्च किया है। उन्होंने 5 लाख 73 हजार रुपए की लागत के पॉलीहाउस में मात्र 90 हजार ही खर्च किए हैं। वर्तमान में उनकी सालाना आमदनी लगभग 8 से 10 लाख रुपए है। संजय कुमार ने बताया कि उनके साथ आसपास के गांव के लगभग 150 परिवार जुड़े हैं जो सब्जियों को को घर द्वार से ही ले जाते हैं। पॉली हाउस से वे ताजी सब्जी निकलते हैं जितनी ग्राहक की डिमांड होती है।

'पॉलीहाउस में उगा रहे जहर मुक्त विदेशी सब्जियां।'

प्रगतिशील किसान संजय कुमार पॉलीहाउस में प्राकृतिक खेती के द्वारा बै-मौसमी विदेशी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। सब्जियों के लिए वह गौ मूत्र से बनाई गई स्प्रे ब खाद का इस्तेमाल करते है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है। जिससे फसल जहर मुक्त होती है और इसका सेवन करने से किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होने का खतरा नहीं होता है।

पॉलीहाउस में वह आइस बर्ग, केल, ब्रोकली, चाइनीस गोबी, फेंच बीन्स, पत्ता गोभी, फूलगोभी, पालक, मटर, रेड कैब्बेज इत्यादि सब्जियां का उत्पादन कर रहे हैं।

'साल भर होता है उत्पादन, नहीं पड़ता आपदा का असर।'

संजय कुमार ने बताया कि पॉलीहाउस खेती करने के कई फायदे हैं एक तो प्राकृतिक आपदा, बारिश, अधिक तापमान और पाला जैसी समस्याओं से उन्होंने निजात पा ली है, वहीं इसमें तापमान को नियंत्रण कर साल भर उत्पादन लिया जा रहा है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है।

'संजय कुमार को मिला सम्मान।'

प्राकृतिक खेती करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जुलाई 2021 में प्रगतिशील किसान संजय कुमार को कृषि पुरस्कार 2020 से भी नवाजा गया है। जिसमें एक लाख रुपए का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया।

आधुनिक तकनीक से संचालित पॉलीहाउस।'

पॉलीहाउस में वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खेती करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सिंचाई के लिए 60 हजार लीटर क्षमता का एक अंडर ग्राउंड पानी का टैंक घर के ही आंगन में बनाया गया है, जिसे वर्षा जल से भर लिया जाता है और बाद में समय-समय पर पॉलीहाउस में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

पॉलीहाउस में सिंचाई के लिए ड्रिपिंग सिस्टम लगाया गया है तथा मई जून के महीने में जब तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है तब तापमान नियंत्रण के लिए फॉगर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है।

'पॉलीहाउस बनाने के लिए राज्य सरकार दे रही 85 प्रतिशत सब्सिडी।'

पॉलीहाउस योजना के अंतर्गत पॉलीहाउस का निर्माण करने पर किसानों को मात्र 15 प्रतिशत पैसा खर्च करना होता है,बाकी की राशि सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में मिलती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कृषि विभाग में आवेदन करना होता है।

स्वरोजगार का उत्तम साधन है पुष्प उत्पादन

शिमला। ज़िला मुख्यालय चंबा के उपमंडल सलूणी की ग्राम पंचायत सुरी के प्रगतिशील, मेहनतकश और क्षेत्र के लिए अनूठी मिसाल बने किसान प्रल्हाद भक्त किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे आज सफल पुष्प उत्पादक के तौर पर नाम बना चुके हैं ।

प्रल्हाद भक्त का कहना है कि पारंपारिक कृषि कार्य करने के पश्चात कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा कार्यान्वित अरोमा मिशन के अंतर्गत जगली गेंदा पुष्प की खेती ने उनके साथ 400 से भी अधिक किसानों के आर्थिक स्वावलंबन में महक लायी है।

जंगली जानवरों से पारंपारिक कृषि उपज को हो रहे नुकसान की भरपाई को लेकर ग्राम पंचायत सुरी के गांव पखेड से जंगली गेंदा पुष्प की खेती के रूप में शुरू हुई पहल आज चामुंडा कृषक सोसायटी चकोली-मेड़ा के तौर पर वर्तमान में 400 से भी अधिक किसानों का समूह है ।

धुन के पक्के किसान प्रल्हाद भक्त ने पुष्प उत्पादन के संबन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सारी जानकारी प्राप्त की और इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों से भी मिले। सारी जानकारी जुटा लेने पर उन्होंने पुष्प उत्पादन शुरू किया ।

प्रल्हाद भक्त का कहना है कि. जंगली गेंदे और अन्य जड़ी बूटियों पर लगभग 15 सालों से कार्य कर रहा हूं। मैंने 2012 से जंगली गेंदे की खेती के और अपना रुझान किया और ऑयल डिस्टलेशन यूनिट की स्थापना कर तेल निकालना शुरू कर आय अर्जित करना शुरू किया। उसके उपरांत वर्ष 2018 में हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के माध्यम से हमारी सोसाइटी के लिए ऑयल डिस्टलेशन यूनिट की स्थापना की और हमें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई। उसके उपरांत जंगली गेंदे की खेती से हमने अच्छी मात्रा में तेल निकालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जंगली गेंदे की खेती के लिए हमारी सोसाइटी से लगभग 400 लोग जुड़े हैं। जंगली गेंदे की खेती लोग अपने खेतों में भी करते हैं और कुछ जंगलों से भी जंगली गेंदे को निकाल कर लाते हैं।

उन्होंने कहा कि डिस्टलेशन यूनिट लगने के उपरांत अभी तक हमने लगभग ढाई क्विंटल तेल निकाल चुके हैं।

उनका यह भी कहना है कि जंगली गेंदे पुष्प का सघन तेल 10 हजार से 12 हजार प्रति किलो (लीटर में नहीं) की दर से बाहरी व्यापारी स्थानीय स्तर पर ही

खरीद लेते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद खेती से सालाना एक से दो लाख की आमदनी अर्जित कर लेते हैं।

उन्होंने कहा कि इस खेती से हम एक अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं और अरोमा मिशन के अंतर्गत हम लैवेंडर की खेती की और भी बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जंगली गेंदे से प्राप्त किए गए तेल का उपयोग फूड पैकिंग के अलावा खाद्य पदार्थ जैसे टॉफियां,कुरकुरे,सौंदर्य प्रसाधन (कॉस्मेटिक्स) , विभिन्न प्रकार की दवाईयां और हवन सामग्री में किया जाता है।

खास बात यह है कि ज़िला प्रशासन ने वर्ष 2021 में सीएसआईआर- हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया था । इसके तहत ज़िला में सुगंधित व औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाने के साथ विभिन्न फसलों की पौध, डिस्टलेशन यूनिट और तैयार उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाना शामिल किया गया है ।

उद्यान विकास अधिकारी सलूणी डॉ. अनिल डोगरा बताते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के साथ किए गए समझौते के अंतर्गत विकासखंड सलूणी की ग्राम पंचायत सुरी के गांव पखेड में 2018 में ऑयल डिस्टलेशन यूनिट की स्थापना की गयी है। उन्होंने कहा कि चामुंडा कृषक सोसायटी चकौली मेड़ा के सदस्यों द्वारा जंगली गेंदे की खेती की जा रही है और इस डिस्टलेशन यूनिट के माध्यम से तेल निकालकर अपना रोजगार चला रहे हैं।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस सोसाइटी द्वारा गत 3 वर्षों में लगभग 250 किलोग्राम का उत्पादन किया है।

उन्होंने कहा कि विकास खंड सलूणी के किसानों को अरोमा मिशन के अंतर्गत जिला प्रशासन के सहयोग आईएचबीटी पालमपुर द्वारा लैवंडर पौधे वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और स्वरोजगार की ओर बढ़ सके।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ज़िला में विभिन्न स्थानों में 13 डिस्टलेशन यूनिट (सघन तेल आसवन इकाई) स्थापित किए जा चुके हैं।

प्रल्हाद भक्त राज्य सरकार की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और सही दिशा में की गई मेहनत के सुखद परिणामों की जीती जागती मिसाल है। उनकी सफलता की कहानी अनेकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो रही है और बड़ी संख्या में लोग स्वरोजगार लगाने को प्रेरित हो रहे हैं।

प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनने में संबल प्रदान कर रही सौर ऊर्जा परियोजनाएं

शिमला। हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य का लक्ष्य हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में एक से पांच मेगावाट तक सोलर प्लांट लगाने के लिए अब राज्य के बाहर से संबंध रखने वाले निवेशक भी आवेदन कर सकेंगे।

राज्य सरकार के इस कदम से सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और देश भर से निवेशक हिमाचल का रुख करेंगे। राज्य सरकार ने हिमऊर्जा के माध्यम से 250 किलोवाट से पांच मेगावाट क्षमता की ग्राउंड माउंटिड सौर ऊर्जा परियोजनाओं से 100 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हिमऊर्जा द्वारा 6 मार्च से 15 मार्च, 2023 तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह परियोजनाएं निजी भूमि अथवा पट्टे पर ली गई भूमि पर स्थापित की जा सकेंगी।

इनमें से 30 मेगावाट क्षमता की 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की परियोजनाएं बोनाफाइड हिमाचलियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। ऐसे आवेदक व्यक्तिगत अथवा शतप्रतिशत हिमाचली भागीदारी के साथ यह परियोजनाएं स्थापित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त 70 मेगावाट क्षमता की 1 से 5 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य अथवा बाहर से कोई भी इच्छुक सौर ऊर्जा उत्पादक आवेदन कर सकता है।

प्रदेश सरकार के इस कदम से हिमाचली युवाओं को सोलर प्लांट लगाकर घर के समीप ही बेहतर आय अर्जित करने का अवसर उपलब्ध होगा। वहीं बाहरी निवेश आकर्षित करने में भी यह सहायक सिद्ध होगा। प्रोजेक्ट मालिक परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली राज्य विद्युत बोर्ड को बेच सकते हैं।

वर्तमान में हरित ऊर्जा के उत्पादन में हिमऊर्जा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिमऊर्जा द्वारा पांच मेगावॉट तक क्षमता की 339.25 मेगावाट की 91 जलविद्युत परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 38.10 मेगावाट की ग्राउंड माउंटिड सौर ऊर्जा परियोजनाएं, 18.85 मेगावाट के सोलर ग्रिड कनेक्टिड रूफटॉप प्लांट तथा 3.97 मेगावाट सोलर ऑफग्रिड प्लांट का संचालन भी किया जा रहा है।

हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रदेश सरकार के संकल्प को इन प्रयासों से और बल मिला है। ई-वाहनों के लिए पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति के साथ ही एक से पांच मेगावाट क्षमता वाली सौर परियोजनाओं में बाहरी राज्यों के निवेशकों को अनुमति प्रदान करने के दूरगामी एवं सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

मनरेगा श्रमिकों और पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्ज को भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम, 1984 (हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसिज एट यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑर अदर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन्ज एक्ट, 1984) के तहत लाने का निर्णय लिया गया ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक तथा उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रिमंडल ने विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 को आरंभिक तौर पर तीन माह की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया। योजना का उद्देश्य जीएसटी पूर्व काल में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत आकलन के लिए लंबित लगभग 50 हजार मामलों का निस्तारण करना है। इस योजना से लघु एवं सीमांत व्यापारियों और अन्य करदाताओं को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्ज और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 9 पद नियमित आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 11 नागरिक एवं सत्र मंडलों तथा नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उपमंडलों में अतिसंवेदनशील गवाह ब्यान केंद्रों(वल्नरेबल विटनेस डेपोजिशन सेंटर) में विभिन्न श्रेणियों के 45 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभागों में सहायक प्रोफेसर के तीन पद भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 10 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 15 पदों की बैचवाइज़ आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने तथा छंटाई/कटाई सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे।

बैठक में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की पुनर्संरचना का निर्णय लिया गया। इससे हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा राज्य में चल रही परियोजनाओं के सुगम परिचालन तथा भावी परियोजनाओं को घरेलू वित्तीय संस्थानों से सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित (हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन तथा विपणन निगम (एचपीएमसी) में समाहित करने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने बच्चों की सहज जिज्ञासा की पूर्ति एवं उनकी सृजनात्मकता को दिशा देने के लिए शिमला के शोघी स्थित भोग, आनंदपुर (शोघी) गांव में सेंटर फॉर साइंस, लर्निंग एण्ड क्रिएटिविटी को समर्पित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से विज्ञान की शिक्षा के जन प्रसार तथा अध्ययन में नवाचार लाने में सहायक सिद्ध होगा।

बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में श्रीचामुण्डा नंदीकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला मण्डी में माता श्यामाकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 55,276 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 40 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टे को नवीनीकृत करने की मंजूरी प्रदान की गयी। मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय तथा राज्य के क्रमश:90:10 अनुपात के आधार पर नई केन्द्र प्रायोजित योजना पीएम एस.एच.आर.आई.(प्रधानमंत्री स्कूल्ज़ फॉर राइजिंग इंडिया) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023' लागू करने की घोषणा

शिमला/शैल। लघु और सीमांत व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए न्यायालय में विचाराधीन या कर निर्धारण के तहत पूर्व जीएसटी काल के लगभग 50,000 मामलों को निपटाने के लिए, राज्य सरकार ने एक नई योजना 'हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023' लागू करने की घोषणा की है।

इस योजना से व्यापारियों और राज्य कर एवं आबकारी विभाग दोनों को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे सभी लंबित पुराने मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी और विचाराधीन मामलों की बकाया वसूली में मदद प्राप्त होगी। इस योजना के कार्यान्वयन से हितधारकों के साथ-साथ विभाग को जीएसटी अनुपालन में ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना आरंभ में 3 महीने की अवधि के लिए वैध होगी और पूर्व-जीएसटी करदाताओं के लिए कर देनदारी और विवादों को हल करने में मददगार साबित होगी। योजना के तहत करदाता बकाया कर राशि का भुगतान करने में सक्षम होंगे और कानून के तहत किसी भी अन्य परिणाम से मुक्त होंगे, जबकि ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट प्राप्त होगी।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत न्यायालय में विचाराधीन लंबित पुराने मामलों और बकाया के निपटान में मदद मिलेगी। इससे उन मामलों का भी समाधान करने में सहायता मिलेगी जिनका मूल्यांकन किया जाना बाकी है। डीलर को लागू निपटान शुल्क के साथ देय कर का भुगतान करना आवश्यक है, लेकिन यह कर घटक की किसी भी छूट की पेशकश नहीं करता है।

आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि हितधारक संबंधित विभाग के सर्कल कार्यालय में जाकर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। डीलरों को सम्मिलित अधिनियमन के प्रासंगिक शीर्ष में लागू निपटान शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 50,000 लंबित मामलों का निपटारा करके लगभग 20-25 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विभाग ने इससे पहले भी वर्ष 2019 में एक लेगेसी योजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से 14,814 मामलों का निस्तारण कर 393 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था। दूसरी योजना के तहत कुल 20,642 मामलों का निपटारा किया गया और 19.16 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

राजस्व विभाग को भूमि अधिग्रहण सर्वे के निर्देश

शिमला/शैल। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया एक महीने में पूरी कर ली जाएगी। इस कार्य का जिम्मा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), शिमला को सौंपा गया है। यह जानकारी उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने गगल में कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तारीकरण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के उपरांत दी।

उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इंपैक्ट असेसमेंट) की अनुमति दे दी है। हिपा इस कार्य को एक महीने में पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सामाजिक प्रभाव आकलन में हिपा को पूरी मदद मुहैया कराएगा ताकि तय समयावधि में कार्य पूरा किया जा सके। डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि इसके अलावा राजस्व विभाग को हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण से संबधित सर्वे को कहा गया है। ये कार्य भी जल्द से जल्द कराया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के चलते नेशनल हाइवे की अलाइनमेंट में बदलाव किया जाएगा। नए प्रस्तावित अलाइनमेंट के लिए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक के साथ स्पॉट विजिट कर नए रूट का मुआइना किया।

बैठक में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एयरोड्रोम) के संयुक्त महाप्रबंधक श्री नेगी, हवाई अड्डा कांगड़ा के निदेशक धीरेंद्र सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान, एसडीएम शाहपुर डॉ. मुरारी शर्मा, एसडीएम कांगड़ा नवीन तंवर और राजस्व विभाग के अधिकाारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध संयुक्त प्रयास आवश्यक: शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार स्कूली विद्यार्थियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचाने के लिए दृढ़ता से प्रयास कर रही है। इस दिशा में सरकार ने 'प्रधाव' ए हैकाथॉन टू वाइप आउट द ड्रग्स अभियान शुरू किया है। यह अभियान राज्य गुप्तचर विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य छात्रों को जागरूक कर सशक्त बनाना और अवैध दवाओं के उत्पादन और आपूर्ति को समाप्त करना है।

यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्च, माध्यमिक, प्राथमिक, तकनीकी शिक्षा विभाग और राज्य गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि नशा सेवन के परिणामों की अनभिज्ञता, आसान उपलब्धता, जिज्ञासा, मानसिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारणों से छात्र नशा सेवन की ओर आकर्षित होते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए पुलिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने के अलावा शैक्षिक प्रणाली की नीतियों में आवश्यक बदलाव करना चाहिए।

उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (एचपीबीओएसई) से बच्चों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और स्कूलों व कॉलेजों के पाठयक्रम में नशीली दवाओं के दुरुपयोग व उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयु उपयुक्त पाठयक्रम तैयार करने को कहा। उन्होंने स्कूलों व महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की समय-समय पर मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग और व्यापक स्तर पर नशा जागरूकता अभियान सुनिश्चित करने पर बल दिया। इससे विद्यार्थियों को नशीली दवाओं के विपरीत प्रभावों को जानने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने एक राज्यव्यापी मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी बच्चों की वर्चुअल काउंसलिंग हो सकेगी।

शिक्षा मंत्री ने योग, खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों को पाठयक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने के अलावा स्कूल के अधिकारियों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण सत्र आयोजित करना को कहा। यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करेगा जिससे उन्हें नशे से दूर रहने की प्रेरणा मिलेगी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने इस सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए बहुआयामी रणनीति साझा की।

सचिव शिक्षा डॉ. अभिषेक जैन, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत के. शर्मा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा घनश्याम चंद और निदेशक तकनीकी शिक्षा विवेक चंदेल भी बैठक में उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने दुग्ध उत्पादन से जुड़ी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने पर बल दिया

शिमला/शैल। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ सीमित, शिमला एवं पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित परिचर्चा में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

इस अवसर पर, उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग को समन्वय से कार्य करना चाहिए। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका का एक अभिन्न अंग है। पशुपालन के माध्यम से किसान अपनी आय में और वृद्धि कर सकते हैं। प्रदेश सरकार पशुधन को घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ तथा पशुपालन विभाग परस्पर समन्वय और सहयोग से कार्य करें जिससे दुग्ध उत्पादकों की आय में पर्याप्त बढ़ोतरी की जा सके। उन्होंने प्रदेश में गुणात्मक दुग्ध की खरीद पर विशेष बल देते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

इस परिचर्चा में सचिव पशुपालन राकेश कंवर, हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ सीमित के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा और प्रबंध निदेशक भूपेंद्र अत्री ने विचार साझा किए।

इस अवसर पर निदेशक पशुपालन प्रदीप शर्मा ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया।

इस परिचर्चा में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों, दुग्ध उत्पादकों एवं प्रसंघ के निदेशकों ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए।

इस अवसर पर पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में 1754.44 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्राधिकरण ने नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार संबंधी 34 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें लगभग 1754.44 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और 3635 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

प्राधिकरण द्वारा मैसर्स एग्रीवा नेचुरल्स

को जिला ऊना की तहसील हरोली के गांव सिंघन में फ्रोजन स्नैक्स तैयार करने के लिए, मैसर्स प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड को जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में बाथरूम फिटिंग और असैसरीज विनिर्माण के लिए, मैसर्स क्रंची लश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को जिला ऊना की तहसील हरोली के आई. ए. बथड़ी में मुरब्बा, अदरक और लहसुन पेस्ट बनाने, कैंडिड फ्रूट आदि तैयार करने के लिए, मैसर्स कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र कंदरौरी में एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग के लिए, मैसर्स इनोवेटिव टेकटेक्स प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में बुलेट प्रतिरोधी बुलेटप्रूफ बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, सिरेमिक प्लेट्स, बैलिस्टिक फाइबर्ज आदि के विनिर्माण के लिए, मैसर्स विटाविन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में ड्राई सिरप, टैबलेट, कैप्सूल तैयार करने के लिए, मैसर्स एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड, जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में बरख्तरबंद वाहनों के विनिर्माण के लिए, मैसर्स मैकारियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट आदि के निर्माण, मैसर्स ग्रेडिसंस प्राइवेट लिमिटेड, जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर

में ऑइंटमेंट, ड्राई इंजेक्शन, लिक्विड इंजेक्शन के उत्पादन, मैसर्स कैम्पसएक्टिववियर लिमिटेड जिला सिरमौर की तहसील माजरा में जूते बनाने के लिए मैसर्स मुध मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में ड्राई इंजेक्शन के विनिर्माण, मैसर्स एथेंस लाइफ साइंस यूनिट-2 को जिला सिरमौर की तहसील नाहन में इंजेक्शन, आई ईयर ड्रॉप्स इत्यादि के उत्पादन, मैसर्ज त्रिलोकपुर पावर प्राइवेट लिमिटेड को जिला सिरमौर की तहसील नाहन के गांव खैरी काला-अंब में जिंक शीट्स के विनिर्माण के लिए, मैसर्स प्रिसेप्ट फार्मा लिमिटेड यूनिट-2 को जिला सोलन की बद्दी तहसील के गांव मानपुरा में इनहेलर्स, नेजल स्प्रे के निर्माण, मैसर्स इनफॉलिबल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, जिला सोलन के बद्दी के झारमाजरी लिक्विड इंजेक्शन, एम्पाउल, प्री-फिल्ड इंजेक्शन तैयार करने, मैसर्स यूनिको कोस्मेटिका प्राइवेट लिमिटेड को जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के डाकघर लोधीमाजरा के मानकपुर में बोतलों, कटेनरों इत्यादि के निर्माण, मैसर्स ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-4 को जिला सोलन की तहसील बद्दी में फोर्क, बॉडी पैनल, फ्रंट पैनल, कवर, फ्रंट फेंडर आदि के निर्माण, मैसर्स एनर्जोस टेक, जिला सोलन की तहसील बद्दी के लोधीमाजरा में बैटरी प्लेट्स लेड एलॉयज ग्रे ऑक्साइड के विनिर्माण, मैसर्स फाइन फार्मा पैक एलएलपी को जिला सोलन के बद्दी में ब्लिस्टर फॉयल इत्यादि के विनिर्माण और मैसर्स लेजेन्सी रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-2 जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में मीटर डोज इनहेलर, आई एंड ईयर ड्रॉप्स, प्रीफिल्ड सीरिंजज के उत्पादन के नए प्रस्तावों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

विस्तार प्रस्तावों की स्वीकृतियों में जिला सोलन के गांव नंदपुर, तहसील, नालागढ़ की मैसर्ज बीटा लिमिटेड को टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड इंजेक्शन एसवीपी, लिओफिलाइज्ड इंजेक्शन एसवीपी, गांव किशनपुरा तहसील नालागढ़ की मैसर्ज पेसेनियस काबी ऑनकॉलोजी लिमिटेड को इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल के उत्पादन, मैसर्ज डाबर इंडिया लिमिटेड, गांव बिलांवाली लवाना, डॉ. बद्दी, जिला सोलन को शैंपू के उत्पादन के लिए, मैसर्ज यूएसवी प्राईवेट लिमिटेड, राज्य औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, जिला सोलन, हि.प्र. को टैबलेट, कैप्सूल के विनिर्माण के लिए, मैसर्ज ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, यूनिट-3, गांव किशनपुरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन को इनहेलर्स एमडीआई, ड्राई पाउडर इन्हेलर्स, नेसल स्प्रे इत्यादि के निर्माण सम्मिलित हैं।

मैसर्ज ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड यूनिट-2, गांव बटेड, बरोटीवाला, सोलन, हि.प्र. को इन्वर्टर, सौर बैटरी, ई रिक्शा बैटरी इत्यादि के निर्माण, मैसर्ज डॉ रेडिज लेबोरेटरीज लिमिटेड यूनिट-एफटीओ-12, कुंझाल, डॉ. बरोटीवाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, को टेबलेट, कैप्सूल, तरल पदार्थ, मलहम और क्रीम को तैयार करने के लिए, मैसर्ज लीजेंसी रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड, गांव काथा तहसील बद्दी, जिला सोलन को इंजेक्शन के पानी के उत्पादन, मैसर्स डॉ. रेडिज लेबोरेटरीज लिमिटेड यूनिट-एफटीओ 06, गांव खोल, तहसील बद्दी, जिला सोलन को टेबलेट, कैप्सूल, सैशे, इंजेक्शन, मलहम, क्रीम को तैयार करने के लिए, मैसर्ज हनुकेम लैबोरेटरीज, यूनिट-3, सेक्टर 5, औद्योगिक क्षेत्र परवाणू, जिला सोलन को टैबलेट, कैप्सूल, आई ड्रॉप्स (थ्री पीस), आई ड्रॉप्स एफएफएस के निर्माण, मैसर्ज अपीएल लिमिटेड, गांव-भाटियां, तहसील- नालागढ़, जिला-सोलन को मल्टीलेयर प्लास्टिक लैमिनेटेड टड्बूस, मैसर्ज ग्रेउर एंड वील इंडिया लिमिटेड, जिला उद्योग केन्द्र बरोटीवाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन को मैटल फिनिर्शिंग कंपाउंडेड केमिकल्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स (फॉर्मूलेशन) एण्ड थिन्नर इत्यादि के निर्माण, मैसर्ज डॉ. रेडिज लेबोरेटरिज लिमिटेड यूनिट-एफटीओ-08, गांव मौजा थाना डॉ. भूड, तहसील बद्दी जिला सोलन को कैप्सूल तथा टैबलेट, मैसर्ज बायोजेम साइंटिफिक, गांव रघान, जिला सोलन को पिपेट टिप्स, माइक्रो टयूब्स, सेंट्रीफ्यूज टयूब्स, पेट्री डिशेज की औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, भरत खेड़ा और आर.डी. नज़ीम, सचिव अक्षय सूद और अमिताभ अवस्थी तथा उद्योग विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी।

मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2023-24 के लिये राज्य में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी एवं निविदा को स्वीकृति प्रदान की। इसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है।

बैठक में पांच लीटर केग ड्रोट बियर की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में उपलब्ध होंगी। राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान की गयी है। इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे। मंत्रिमण्डल ने बागवानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों के आसवन द्वारा निर्मित स्प्रिट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग द्वारा प्राप्त शराब की नई किस्में शुरू करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेटिड और उससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिसमें वास्तविक समय में निगरानी के लिए मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधा शामिल होगी।

इस नीति को सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, होटल तथा बार इत्यादि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। विभाग द्वारा सभी वर्गों से चर्चा एवं सुझाव के उपरान्त यह निर्णय लिए गये हैं।

मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाने और 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश, 2023 लागू करने का भी निर्णय लिया।

एफसीए व एफआरए के तहत स्वीकृति के मामलों की बाधाओं को दूर करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत स्वीकृति के मामलों की सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए ताकि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके।

उन्होंने कहा कि एफसीए और एफआरए के मामलों में मंजूरी की प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने फॉरेस्ट क्लीयरेंस कंसल्टेंट ऑर्गनाइजेशन (एफसीसीओ) के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसियों को ठोस सहायता (हैंडहोल्डिंग) प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को गैर वनीकरण उद्देश्यों में परिवर्तित करने संबंधी मंजूरी शीघ्र प्राप्त करने के दृष्टिगत भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के सहयोग से उपलब्ध हैंडहोल्डिंग एजेंसियों के माध्यम से कम से कम समय में प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का एक स्वायत्त निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम से संबद्ध है।

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ एजेंसियां भारत सरकार से वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने में उपयोगकर्ता एजेंसियों की मदद कर सकती हैं। मान्यता प्राप्त फॉरेस्ट क्लीयरेंस कंसल्टेंट ऑर्गनाइजेशन के रूप में जानी जाने वाली इन एजेंसियों के पास विशेषज्ञता होनी चाहिए और प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित कड़े मानदंडों और गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एफसीसीओ की मान्यता से एफसीए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाकर राज्य में विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव के साथ नई दिल्ली में आयोजित बैठक सार्थक रही है और उन्होंने राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आर्द्रभूमि के संरक्षण और उपयोग पर राज्य स्तरीय हितधारकों की बैठक

शिमला/शैल। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा राज्य स्तरीय हितधारकों की दो दिवसीय परामर्श बैठक शिमला में सम्पन्न हुई। यह आयोजन राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एन.एच.एच.एस.) के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय एशियाई फ्लाईवे के भीतर प्रवासी पक्षियों के सुरक्षित आवास के लिए तीन हिमालयी राज्यों में पांच 'आर्द्रभूमि के संरक्षण और उचित उपयोग परियोजना के तहत किया गया।

इस अवसर पर बार-हेडेड बत्तखों के प्रवास के लिए पोंग बांध के महत्व पर चर्चा करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि पौंग बांध और गोबिंद सागर के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार करना इनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

बैठक में पौधों की स्थानीय विविधता और उनकी पहचान के लिए तकनीकी डेटाबेस और भारत में पक्षियों के प्रवासन अध्ययन पर जानकारी भी साझा की गई।

यह बैठक मध्य एशियाई फ्लाईवे में आर्द्रभूमि के प्रभावी संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय तक विभिन्न स्तरों पर नीति और निर्णय लेने का मार्गदर्शन करने वाली रणनीतियां विकसित करने के साथ-साथ सिफारिशों को भी सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश राज्य में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए एक समन्वित और प्रभावी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों सहित हितधारकों के बीच साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना है।

बैठक में राज्य सरकार के 19 विभागों, क्षेत्रीय ज्ञान संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के लगभग 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जीएसटी प्रणाली में कर धोखाधड़ी रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग ने जीएसटी प्रणाली में धोखाधड़ी करने वालों को पंजीकरण चरण में ही रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पंजीकरण आवेदनों में नियमित रूप से फर्जी विवरण घोषित करने वाले व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

टैक्स अधिकारियों द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा जिससे टैक्स धोखाधड़ी करने वालों को जीएसटी प्रणाली में पंजीकरण से पूर्व ही रोका जा सकेगा। इसके अंर्तगत पंजीकरण की तिथि के 30 दिनों के भीतर बिजली बिल, किराये के समझौते, खरीद दस्तावेजों का उचित मूल्यांकन तथा भौतिक सत्यापन अनिवार्य है।

टैक्स अधिकारियों द्वारा आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी का आधार कार्ड से भी मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आवेदक हिमाचल का निवासी नहीं है, तो अन्य संदर्भ पहचान से उसका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाएगी, इसलिए डीम्ड अनुमोदन को नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जोनल व जिला प्रभारियों को समय समय पर समीक्षा कर इस प्रक्रिया का प्रभावी कार्यान्वयन करने के निदेश दिए गए हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.com

क्या पूर्व सरकार पर उठते सवालों का रूख आक्रामकता से मोड़ा जा सकेगा?

वित्तीय कुप्रबन्धन और कर्ज के चक्रव्यूह में फंसाने के आरोपों पर चुप्पी क्यों
धर्मशाला स्मार्ट सिटी पर अनुराग ठाकुर के सवालों का जवाब कौन देगा?

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रभारी अविनाश राय खन्ना और मंत्री सुरेश भारद्वाज सुक्खु सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। आक्रामकता के मुद्दे हैं पिछली सरकार के अन्तिम छः माह के फैसलों को पलटना। कुछ ऐसे संस्थानों को भी बन्द कर देना जो इनके मुताबिक क्रियाशील भी हो चुके थे। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस सरकार को सलाहकार चला रहे हैं । गैर विधायकों को कैबिनेट मंत्रियों का दर्जा दिया जा रहा है। सुरेश भारद्वाज ने तो सुक्खु सरकार की तुलना पाकिस्तान की शहवाज सरकार तक से कर डाली है। मुख्य संसदीय सचिवों के पदों को असंवैधानिक करार दे दिया है लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा उच्च न्यायालय में अभी तक नहीं गयी है। इससे यह इंगित होता है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिये इन मुद्दों के सहारे अपनी आक्रामकता को धार देने का प्रयास कर रही है। वैसे यह भाजपा का राजनीतिक धर्म भी है। बल्कि इस आक्रामकता पर यह भी कहा जा रहा है कि जयराम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जितने अच्छे से निभा रहे हैं यदि सरकार चालाने में इससे आधी ईमानदारी भी दिखाई होती तो स्थितियां बहुत सुखद होती। कांग्रेस और सुक्खु सरकार भाजपा के आरोप का क्या जवाब देती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। यह सही है कि हर सरकार में सलाहकार प्रभावी हो ही जाते हैं। कुछ तो इतने बड़े सत्ता केंद्र हो जाते हैं कि सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी इन केंद्रों के चरण स्पर्श करने लग जाते हैं। बल्कि सरकार से पहले इनसे फाइलों पर विमर्श लेने लग जाते हैं। जयराम सरकार भी इस दोष से मुक्त नहीं थी। बल्कि जनवरी 2018 में ही इससे ग्रसित होकर कार्यकाल के अन्तिम दिन तक इस ग्रहण से बाहर नहीं निकल पायी। इसी परिदृश्य में अभी पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में दिशा की बैठक में जिला प्रशासन को जो कुछ सुनाया है वह सही में सुरेश भारद्वाज और जयराम के आरोपों का सीधा जवाब हो जाता है। भारद्वाज जयराम सरकार में शहरी विकास मंत्री थे। शिमला और धर्मशाला की स्मार्ट सिटी परियोजनाएं उनके अधीन थी। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के काम की गति को लेकर जो टिप्पणीयां अनुराग ठाकुर ने की है वह पूर्व सरकार और पूर्व मंत्री की कार्यप्रणाली पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर जाती है। जिस सरकार में परियोजना की डी.पी.आर. काम करने वाली ठेकेदार कंपनी से ही तैयार करवाई जाये उसमें सहज अन्दाजा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार ने डी.पी.आर. तैयार करते हुए सरकार या अपना किसका ज्यादा ध्यान रखा होगा और ऐसा कब किया जाता है। एन.जी.टी. के फैसले के बाद ओकओवर में जो निर्माण हुआ है और लिफ्ट तक लगी उसकी स्वीकृति किसने दी है यह सवाल आज तक अनुतरित है। यही नही इस फैसले के बाद और हजारों निर्माण कैसे खड़े हो गये इसका भी जवाब नहीं आया है। नगर निगम शिमला के क्षेत्र में कितने निर्माण निर्माणाधीन स्टेज पर गिर गये उसके लिये किसको दंडित किया गया यह आज तक सामने नहीं आया है।आज पूर्व सरकार पर सबसे बड़ा आरोप प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में फंसाने और वित्तीय कुप्रबन्धन का लग रहा है। भाजपा के दो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल अपने-अपने समय का जवाब दे चुके हैं। लेकिन जयराम या उनका कोई भी पूर्व मंत्री कर्ज और कुप्रबन्धन का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है। आज शिमला का जल प्रबन्धन तन्त्र सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है। शिमला के लिये बनाई गयी जल प्रबन्धन निगम पर कई आरोप लग रहे हैं। डॉ. बन्टा द्वारा आरटीआई में ली गयी जानकारी से कई गंभीर सवाल पूर्व मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन इन सवालों का रुख आक्रामकता अपना कर मोड़ने का प्रयास कितना सफल हो पायेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

व्यवस्था परिवर्तन के दावों का प्रशासन पर नहीं है कोई असर

राकेश चौधरी की शिकायत से आया यह सच सामने
एक वर्ष से बिल्डर के खिलाफ आयी शिकायत पर कोई कारवाई नहीं
रेरा ने भी नहीं लिया कोई संज्ञान

शिमला/शैल। रियल स्टेट को अनुशासित रखने के लिए रेरा गठित है। इसमें बिल्डर्स परिभाषित हैं। लेकिन रेरा के बावजूद बिल्डर सारे राजस्व नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। यहां तक जमीन जायदाद खरीद बेच के समय नियमों को अंगूठा दिखाते हुये स्टांप ड्यूटी की करोड़ों की चोरी के अंजाम दे रहे हैं। यह खुलासा हुआ है एक राकेश चौधरी द्वारा मंडलायुक्त शिमला को भेजी शिकायत से। राकेश चौधरी फरवरी 2022 को मंडलायुक्त शिमला के नाम बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डवैल्पमैन्ट सोलन के खिलाफ भेजी थी। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुये मंडलायुक्त कार्यालय ने 26 फरवरी 2022 को इसे जिलाधीश सोलन को आगामी कारवाई के लिये भेज दिया और इसकी सूचना शिकायतकर्ता राकेश चौधरी को भी भेज दी। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कारवाई नहीं हुई है। शिकायत के मुताबिक 18 मई 2010 को टाऊन एंड कन्ट्री पलानिंग विभाग से हाऊसिंग प्रोजेक्ट शकुनज सनसिटी के नाम से स्वीकृत करवाया। जिसमें कुल 206 फ्लैट्स बने हैं। आरोप है कि इसमें 90% फ्लैट बिना किसी वैध खरीद पंजीकरण के बने हैं। इन फ्लैट्स को बेचा भी बिना पंजीकरण के जा रहा है। यह भी आरोप है कि एक ही फ्लैट को कई-कई बार खरीदा बेचा जा रहा है। बिल्डर धारा 118 के तहत हिमाचल सरकार से फ्लैट खरीद की अनुमति लेने में भी वांछित सहयोग नहीं कर रहा है। यह सहयोग न मिलने पर खरीदार इसी बिल्डर को पुनः वह फ्लैट बेचने पर विवश हो रहे हैं। इस तरह की खरीद बेच में करोड़ों की स्टांप ड्यूटी की चोरी होना स्वभाविक है। खरीददार यदि कोई शिकायत करता है तो उसे बाहुबल से भी डराने का आरोप है। जब संबद्ध सरकारी तंत्र एक वर्ष तक शिकायत पर सुनवाई नहीं करेगा तो तंत्र और बिल्डर्स की सांठगांठ होने के आरोपों को स्वतः ही प्रमाणिकता मिल जाती है। क्योंकि शिकायत के मुताबिक यह प्रोजेक्ट मई 2010 में टीसीपी से अप्रूव हुआ। इसमें 206 फ्लैट्स बन गये। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब स्वभाविक है कि 206 फ्लैट बनाने वाला बिल्डर रेरा के इन मानकों के दायरे में आया होगा। ऐसे में जब यह फ्लैट निर्माणाधीन चल रहे होंगे तब क्या किसी भी निगरान एजेंसी ने इसका निरीक्षण नहीं किया होगा। इतने बड़े निर्माण के लिये प्रदूषण की अनुमतियां भी वांछित रही होंगी। किसी बैंक से इस परियोजना को फाइनैंस भी करवाया गया होगा और उस कर्ज की भरपाई फ्लैट बेचकर ही की होगी। तब क्या इस खरीद बेच की वैधता पर सवाल नहीं उठे होंगे।

स्वभाविक है कि जिस बिल्डर के खिलाफ अब इतनी बड़ी शिकायत आ रही है उसको लेकर रेरा तक भी जानकारियां सूचनाएं पहुंची होंगी। जिस बिल्डर ने 206 फ्लैट बनाकर बेचे होंगे और उसमें वैध पंजीकरण ही न रहा होगा तो उसमें स्टांप ड्यूटी को लेकर सरकार को कितना नुकसान हुआ होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पर सारा राजस्व प्रशासन किस गति से काम कर रहा है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन पर सत्ता परिवर्तन का कितना असर हुआ है। सरकार व्यवस्था बदलने के दावे कर रही हैं और प्रशासन पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। प्रशासन के इस कड़वे सच को समझने के लिये यह शिकायत यथास्थिति पाठकों के सामने रखी जा रही है

Date - 08/02/2022

To,

The Divisional Commissioner Shimla
Office & Court of The Divisional Commissioner Shimla,
35QH+WF5, Chotta Shimla,
Shimla, Himachal Pradesh 171002

Sub- Builder Causing loss of Crores of Rupees to Government of Himachal Pradesh

Sir,

This complaint is regarding the mischief done by builder named Shakun Infrastructure Development Limited, Registered and Corporate Office: Behl Niwas, Adj. Sunder Cinema , Solan (H.P.) – 173211, Tele No. 01792 – 220243, 223951; Fax No. 221011; Email: Sales@sidl.in. He developed Housing project in the name of Sakuns Suncity Apartment, Suncity Road, Baddi , Dist Solan, H.P on the land situated in Revenue village Judikalan, Hadbast no 210, Pargana – Dharampur, Tehsil- Baddi, Dist Solan ,

1- The project approved by Town and country planning dept. vide letter no BBNDA-03/ BADDI/ TCP/C- No 1221-BB/25770 Dated 12 May 2010 .

2- That it is also brought to the notice of the authorities that the builder is involved in selling the same flat multiple times without relevant registered sale deed of previous sold flats and then is transferring the same to multiple owners by charging transfer fee in **cash.**

3- That it is to be appreciated that in case the registration was done by paying the stamp duty in the beginning of the allotment of the flat, then this multiple transfer of flats charged by the builder would have not been possible. **By adopting this obscure tactics, he was criminally generating a revenue loss of crores of Rs. to the government till date.**

4- Till date even after 12 year of the project , more than 90% flats out of Total 206 flat constructed are without registered sale deed and conveyance .That The builder didn't provide any help and / or facility to the purchaser to seek permission under Section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy Act because in case the flat got registered by legal means and / or mode by paying the stamp duty then the builder could have not able to launder the government money in reselling the same. **This is a clear-cut case of theft of stamp duty which is completely wrong and unlawful.**

5- That Whenever anybody, who is a resident of the Society, try to raise the dissent note then the builder use the muscle power through his musclemen.

6- That the above instances are a clear-cut case of theft of government stamp duty. If some-one opt to sell the flat he then again has to approach the builder and the builder after that buys the same flat at a throw-away price from the purchaser and resell it again at a higher price. Meaning thereby, the purchaser distressingly has no right to sell his flat directly to the next purchaser because there was no registration made, or done of this flat at any stage. Moreover, the purchaser cannot legally opt to sell the flat because in records he is not the owner of the flat. **So this is not only a pilfering of government stamp duty but also a fraudulent way of selling and purchasing of flats in the Society by this builder himself.**

7- Sir, In view of above facts on the basis of record, though, I request you to institute a proper scrutiny/Inquiry done in respect of all flats and in case of all other flats, who have purchased the flats in the same manner since inception of the Project, so that proper relief could be deemed to be afforded to them.

Rakesh Choudhary
Flat no 502, Block C6,
sakuns Suncity Apartment,
Baddi Dist - Solan(H.P),
Email- rakesh.from@gmail.com

No.Div.Com.(SML)(L)(2)4/2021-
Office of Divisional commissioner
Shimla Division,Shimla-2
***
Dated, the February,2022.

To

The Deputy Commissioner,
District Solan, (H.P.).

Subject: - Builder causing loss of crores of rupees to Government of Himachal Pradesh.

Sir,

I am to enclose herewith photocopy of the letter dated 08.02.2022 received from the complainant Sh.Rakesh Choudhary r/o Flat No.-502, Block C6, Sakuns Suncity Apartment , Baddi, Distt. ,Solan(H.P.) on the subject noted above.

In this regard, you are requested to enquire into the matter and take appropriate necessary action as per rules under intimation to this office as well as to the applicant please.

Yours faithfully,

(S.S. Rathore) HPAS
Assistant Commissioner to
Divisional Commissioner,
Shimla Division,Shimla-2

Endst.No. as above 831 Dated 8/8/2022
Copy forwarded for information to Sh.Rakesh Choudhary r/o Flat No.-502, Block C6, Sakuns Suncity Apartment, Baddi, Distt. ,Solan(H.P.) w.r.t. referred to above.

(S.S. Rathore) HPAS
Assistant Commissioner to
Divisional Commissioner,
Shimla Division,Shimla-2